रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 387] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 9, 2010/आषाढ़ 18, 1932
No. 387] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 9, 2010/ASADHA 18, 1932

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जुलाई, 2010

सा.का.नि. 594(अ).—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19) की धारा 61 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड एतद्द्वारा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के लिए प्राधिकृत करना) विनियम, 2008 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामत: :—

1. (1) इन विनियमों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के लिए प्राधिकृत करना) संशोधन विनियम, 2010 कहा जाएगा ।

(2) ये सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के लिए प्राधिकृत करना) विनियम, 2008 में,—

(क) विनियम 5 के उप-विनियम (8) में "साठ दिन" शब्दों के स्थान पर "एक सौ बीस दिन" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएं;

(ख) विनियम 10 के उप-विनियम (3) के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, नामत: :—

"(3) कंपनी बोर्ड को उप-विनियम (1) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट करार शीर्ष या समझौता ज्ञापन या दोनों को प्राधिकार के जारी होने की तारीख से एक सौ अस्सी दिनों की अवधि के अंदर प्रस्तुत करेगा";

(ग) विनियम 10 के उप-विनियम (4) में "एक सौ बीस दिन" शब्दों के स्थान पर "एक सौ अस्सी दिन" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएं;

(घ) विनियम 14 के उप-विनियम (1) के खण्ड (क), (ख) और (ग) के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, नामत: :—

"(क) पहली चूक के लिए :

(i) प्राकृतिक गैस के परिवहन के वार्षिक लक्ष्य के दस प्रतिशत तक की चूक के लिए निष्पादन बांड की राशि का दस प्रतिशत;

(ii) प्राकृतिक गैस के परिवहन के वार्षिक लक्ष्य के दस प्रतिशत से अधिक पचास प्रतिशत तक की चूक के लिए निष्पादन बांड की राशि का बीस प्रतिशत;

(iii) प्राकृतिक गैस के परिवहन के वार्षिक लक्ष्य के पचास प्रतिशत से अधिक तक की चूक के लिए निष्पादन बांड की राशि का पच्चीस प्रतिशत

(ख) दूसरी चूक के लिए :

(i) प्राकृतिक गैस के परिवहन के वार्षिक लक्ष्य के दस प्रतिशत तक की चूक के लिए निष्पादन बांड की राशि का बीस प्रतिशत;

(ii) प्राकृतिक गैस के परिवहन के वार्षिक लक्ष्य के दस प्रतिशत से अधिक पचास प्रतिशत तक की चूक के लिए निष्पादन बांड की राशि का चालीस प्रतिशत;

(iii) प्राकृतिक गैस के परिवहन के वार्षिक लक्ष्य के पचास प्रतिशत से अधिक तक की चूक के लिए निष्पादन बांड की राशि का पचास प्रतिशत;

(ग) दूसरी चूक के लिए :

निष्पादन बांड की राशि का एक सौ प्रतिशत" ।

[फा. सं. एस-प्रशासन/II/8/2010]
रतन पी. वातल, सचिव

पाद टिप्पणी.—मूल विनियमों को सा.का.नि. 340(अ), दिनांक 6, मई 2008 द्वारा अधिसूचित किया गया था और तत्पश्चात् इसमें सा.का.नि. 802(अ), दिनांक 19 नवम्बर, 2008 तथा सा.का.नि. 769(अ), दिनांक 20 अक्तूबर, 2009 द्वारा संशोधित किया गया था ।

PETROLEUM AND NATURAL GAS REGULAROTY BOARD

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th July, 2010

G.S.R. 594(E).—In exercise of the powers conferred by Section 61 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board hereby makes the following regulations to amend the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand Natural Gas Pipelines) Regulations, 2008, namely :—

1. (1) These regulations may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand Natural Gas Pipelines) Amendment Regulations, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand Natural Gas Pipelines) Regulations, 2008,—

(a) in sub-regulation (8) of regualation 5, for the words "sixty days", the words "one hundred and twenty days" shall be substituted;

(b) for sub-regulation (3) of regualation 10, the following shall be substituted, namely :—

"(3) the entity shall submit Heads of Agreement or Memorandum of Understanding or both specified under sub-regulation (1) to the Board within a period of one hundred and eighty days of the date of issue of the authorisation";

(c) in sub-regulation (4) of regulation 10, for the words "one hundred and twenty days", the words "one hundred and eighty days" shall be substituted;

(d) for clauses (a), (b) and (c) of sub-regulation 1 of regulation 14, the following shall be substituted, namely :—

"(a) for the first default :

(i) ten per cent of the amount of the performance bond for the default up to ten per cent of annual target of transporting natural gas;

(ii) twenty per cent of the amount of the performance bond for the default up to fifty per cent above ten per cent of annual target of transporting natural gas;

(iii) twenty five per cent of the amount of the performance bond for the default above fifty per cent of annual target of transporting natural gas;

(b) for the second default :

(i) twenty per cent of the amount of the performance bond for the default up to ten per cent of annual target of transporting natural gas;

(ii) forty per cent of the amount of the performance bond for the default up to fifty per cent above ten per cent of annual target of transporting natural gas;

(iii) fifty per cent of the amount of the performance bond for the default above fifty per cent of annual target of transporting natural gas;

(c) for the third default :

one hundred per cent of the amount of the performance bond".

[F. No. S-Admn./II/8/2010]
RATAN P. WATAL, Secy.

Foot note.—Principal regulations were notified *vide* No. G.S.R. 340(E), dated 6th May, 2008 and subsequently amended *vide* G.S.R. 802(E), dated 19th November, 2008 and G.S.R. 769(E), dated 20th October, 2009.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.